



## मिर्जापुर जनपद की पर्यावरणीय व कृषिगत समस्याएं एवं उसका समाधान

डॉ० शिव प्रसाद

E-mail: aaryavart2013@gmail.com

Received- 11.02.2021, Revised- 15.02.2021, Accepted - 19.02.2021

**सारांश :** अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद है। जनपद का अक्षांशीय विस्तार 2508'46" उत्तरी अक्षांश से 25022'15" उत्तरी अक्षांश तथा 82034'08" पूर्वी देशान्तर से 82056'09" पूर्वी देशान्तर है। यहाँ की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 80 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 4405 वर्ग कि०मी० है। जिले में 4तहसीलें हैं - मिर्जापुर सदर, चुनार, मड़िहान और लालगंज साथ ही इसको 12 ब्लाकों और 973 ग्राम सभाओं में विभाजित किया गया है। जिले में कुल 1698 गांव हैं। जनगणना सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या 2496970 है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 1312302 और 1184668 है। मिर्जापुर दिल्ली और कोलकाता दोनों से लगभग 650 किलोमीटर, इलाहाबाद से 87 किलोमीटर और वाराणसी से 67 किलोमीटर दूर है। यह कृषि, पर्यटन और ब्रासवेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। मिर्जापुर नगर, पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। जिले की प्रमुख नादियां हैं: गंगा और बेलन। मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल धाम भारत के प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है, इसके अतिरिक्त सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, मोती तालाब, टांडा जलप्रपात, विंडम फाल झरना, तारकेश्वर महादेव, महा त्रिकोण, शिवपुर, चुनार किला, देवराहा बाबा आश्रम अड़गड़ानंद आश्रम व अन्य छोटे-बड़े जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर गुलाबी पत्थरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है।

**कुंजीभूत शब्द**—कृषि विकास, कृषि भूमि उपयोग, पर्यावरणीय कारक।

मिर्जापुर जिला मदोही, वाराणसी, सोनमद्र और इलाहाबाद से घिरा हुआ है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय मिर्जापुर जिले के अमरावती चौराहा स्थान से लिया गया है। कृषि जलवायु की दृष्टि से यह SEZ-9 विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूआकृतिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जिले को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। 1- गंगा का मैदानी भाग और 2- विंध्यन प्रक्षेत्र का पठारी भाग। गंगा का मैदान 30% से 40% और शेष विंध्यन प्रक्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा के मैदान में अच्छी उर्वरता और उत्तम किस्म की जलोढ़ मिट्टी है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चावल- गेहूं, फसल-चक्र का अनुसरण करता है। लेकिन अन्य प्रमुख फसलें जैसे- अरहर, मक्का, चना, मटर, सरसो, गन्ना, तिल, ज्वार और बाजरा इत्यादि भी उगाई जाती हैं। विंध्यन पठारी क्षेत्र में केवल 40: भूमि .पि योग्य है, जिसमें सिंचाई की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। इसलिए किसानों को विशिष्ट शुष्क भूमि आधारित या वर्षा

**एसोसिएट प्रोफेसर**— भूगोल विभाग, सतीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ०प्र०), भारत

अनुरूपी लेखक

पर आधारित कृषि फसलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मिट्टी और स्थलाकृतिक पारिस्थितिकी में विविधता है और जिले का भौतिक स्वरूप विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित है। प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य यहाँ के भूमि उपयोग के प्रारूपों में परिवर्तन के फलस्वरूप, पर्यावरण तथा कृषिगत भूमि के बीच अन्तरसंबंधों की व्याख्या करना है साथ ही मिर्जापुर जिले की पर्यावरणीय एवं .षिगत समस्याओं का विश्लेषण करना और उसके समाधान के उपाय भी बताना है।

**भौतिक विशेषताएं**— जिले की भौतिक विशेषताएं विविधता पूर्ण हैं। यहाँ की मिट्टी तीन प्रमुख मृदा बनावट श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अलग-अलग मिट्टी की स्थिति है। यहाँ मिट्टी के प्रबंधन के लिए अलग-अलग उपाय अपनाने पड़ते हैं। मृदा से संबंधित प्रमुख समस्याएं पठारी और पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित हैं। विशेषकर पठारी क्षेत्रों में मिट्टी, खराब पोषक तत्वों की स्थिति के साथ नष्ट हो रही है। यहाँ व्यापक मृदा क्षरण, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और अवनालिकाओं का विकास, खेती योग्य मिट्टी के कृषिगत उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तीव्र गति से औद्योगिक विकास और कृषि का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। इस तेजी से वनों की कटाई अधिक हुई है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हुआ है। वनावरण का ह्रास और सीमांत, उपसीमांत भूमि का विस्तार भी कृषि गतिविधियों के वैज्ञानिक विस्तार का आधार प्रस्तुत करती हैं। यहाँ के निवासी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए बायोमास पर आश्रित हैं यह जिला खनिजों से संपन्न नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं— बालू और पत्थर। जिले का उद्योग कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, खनिज, उद्योग, व्यवसाय और पर्यटन पर आधारित है। मिर्जापुर, कारपेट, ब्रास और सिल्वर के नॉट को निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऊनी और सादे कपड़े बनाना प्रतिबंधित है। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति और खिलौने बनाए जाते हैं। जिले में स्थित प्रमुख उद्योग हैं— जूट आधारित उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कागज उत्पाद और कालीन उद्योग, इत्यादि।

**जलवायु की दशाएं**— यहाँ की जलवायु 1100 मिली मीटर की वार्षिक वर्षा के साथ अर्ध शुष्क प्रकार की है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। यहाँ सदियों से बारिश होने की संभावना काफी अनिश्चितता



रही है, जबकि मार्च से मध्य जून के बीच का समय कभी-कभी पारंपरिक वर्षा के साथ पूरी तरह शुष्क होती है। इससे वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नमी का दबाव होता है। जिले में 85-90% मानसूनी वर्षा, जून के चौथे सप्ताह से सितंबर के अंत तक प्राप्त हो जाया करती है और बाकी बारिश, सर्दियों में कभी-कभी हल्की-फुल्की या मूसलाधार बारिश होती है, जिसका संबंध भूमध्य सागर से उठने वाले शीतकालीन चक्रवातों से होता है लेकिन वर्षा की अनिश्चितता हमेशा बनी ही रहती है।

**उच्चावचः-** क्षेत्र का अधिकांश भाग चट्टानी और लहरदार होने के कारण, भूमिगत जल संसाधन, कृषि उत्पादन के लिए अपर्याप्त है। जिले के गंगा के मैदानों में, लगभग 55% भूमि, केंद्रीय पठारी भाग में, 35-50% और दक्षिणी क्षेत्रों में लगभग 6-8% कृषि योग्य भूमि है। पूरे जिले की कृषि योग्य भूमि का 32% सिंचित है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, रखरखाव और उपयोग एवं क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिकी, विद्य प्रक्षेत्र में रोलिंग स्थलाकृति, रेंज भूमि और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में काफी अधिक चुनौतियां हैं। खाद्य, फाइबर-ईंधन इत्यादि की बायोमास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग और कृषि क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है।

**जैव विविधता-** भोजन, ईंधन और चारा इत्यादि के लिए बायोमास की कटाई और अनियंत्रित चराई के कारण क्षेत्र में मौजूदा जैव विविधता बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। इन सभी का संयुक्त प्रभाव यानी चराई, वनों की कटाई और वैज्ञानिक कृषि, पैसों के कारोबार के लिए जिम्मेदार हैं। जो निम्नलिखित समस्याओं का कारण बनता है।

1. कम कृषि उत्पादकता
2. मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में गिरावट
3. प्रा.तिक वनों का क्षरण, चारागाह भूमि और
4. व्यापक सीमांत और उप सीमांत भूमि के उपयोग की समस्या

**फसल उत्पादन-** फसल उत्पादन हमेशा वर्षा की अनिश्चितता पर आधारित रहा है। परिणाम स्वरूप जिले का बड़ा क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है और परम्परागत .षि के साथ, अपर्याप्त संसाधन प्रबंधन से उत्पादन वर्षों से कम और अस्थिर है। इसमें वर्षा की अनिश्चितता, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के किसानों के बीच की खाई को चौड़ा कर देती है। वहीं खराब सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी पहलू, खराब फसल उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। इस जिले की उद्योग मुख्य रूप से .षि पर आधारित है। जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें हैं - गेहूं, धान, चना, बाजरा, अरहर, आलू, प्याज और लहसुन इत्यादि।

**बागवानी की स्थिति-** चूंकि, जिले में फलदार पौधों का रोपण एक दीर्घकालिक परियोजना है और प्रतिफल चार-पांच वर्षों के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए किसान फलदार पौधों के रोपण किए जाने के लिए रुचि नहीं रहते हैं। खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी एक प्रमुख सीमित कारक है, जिससे बागों का खराब प्रबंधन, कम निवेश और किसान की जोखिम वहन करने की क्षमता का भी अभाव होता है। किसान अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज रोपण और फलों, पौधों और सब्जियों आदि के संबंधित बीजों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि वहन करने की स्थिति

में नहीं हैं। अनिश्चित वर्षा और असिंचित शुष्क कृषि भूमि के कारण यहां उपयुक्त किस्मों के गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपलब्धता भी .षिगत उत्पादन में एक बड़ी बाधा है। जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फल हैं- आम, अमरूद, आंवला, बेर, कटहल, बेल, पीपता और केला इत्यादि। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 24%) वनों से आच्छादित है। जिले में पाए जाने वाले प्रमुख वन उत्पाद हैं: महुआ, तेंदू, आम, अमरूद, नीम, बेर, पीपता, केला, साल और टिक की लकड़ी।

**पशु पालन का स्वरूप-** मिर्जापुर जिला, पशु संख्या की दृष्टि से काफी समृद्ध है। गायों और भैसों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन गुणवत्ता बेहद खराब है। अधिकांश जानवरों को मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में खुली भूमि पर और मैदानी क्षेत्रों के खाली व परती भूमि पर ही रखा जाता है, इससे पशुओं को चरने की सुविधा मिल जाती है। पशु चारण के परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों में वनों का विनाश होता है और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। पशुपालन जिले के लोगों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया है। जिले के प्रमुख पशु धन हैं- गाय, भैस, सुअर, भेड़, मुर्गी और बकरी इत्यादि। जिले के अधिकतम पशु वर्णशंकर एवं स्वदेशी हैं साथ ही औसतन दुग्ध उत्पादक भी हैं। इस जिले में एक गाय की औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात लगभग 1000 लीटर है ,जबकि भैस के मामले में यह 1230 लीटर है। बकरियां और भेड़ें आकार और वजन में कमोवेश अलग-अलग होती हैं, इसके अलावा टीकाकरण, उचित आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी की कमी, के कारण हर साल कई बीमारियां होती हैं। फिर भी जिले में गाय व भैस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन की बहुत अधिक गुंजाइश है। यहां की नदियों और सहायक नदियों, बाघों और जलाशयों से मछली का पर्याप्त उत्पादन भी होता है।

प्रदेश में अन्य जिलों की भांति मिर्जापुर में भी हरित क्रांति के कारण यहां के लोगों ने भी कृषि विज्ञान एवं तकनीक में विकास के साथ ही कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि की। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक भी था। जिले में एक तरफ वन एवं चारागाह भूमि को कृषि भूमि में बदला गया तो वहीं दूसरी ओर उन्नतशील बीजों व उर्वरकों के प्रयोग द्वारा प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि को हरित



क्रांति का नाम दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर आत्मनिर्भर बनना था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित थे—रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करना, उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ाना, पौध संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं का विकास, आधुनिक एवं स्वचालित कृषि उपकरणों का प्रयोग, बहु फसली कार्यक्रम लागू करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना व भूमि परीक्षण, मृदा संरक्षण, विद्युतीकरण, कृषि ऋणों की सुविधा, उपज के उचित मूल्य की व्यवस्था, सरकारी समितियों द्वारा क्रय विक्रय व भंडारण, भूमि सुधार कार्यक्रम और . षि अनुसंधान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, इत्यादि। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई एवं मिर्जापुर जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आत्मनिर्भर हो गया लेकिन, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही यहाँ अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म भी हुआ, प्राकृतिक वन एवं घास स्थलों का विनाश होने से पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होने लगा। खेतों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता गया। जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण भूमि की प्राकृतिक उर्वरता नष्ट होने लगी। जिले में गहन कृषि एवं सिंचाई द्वारा क्षारीय भूमि की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से पर्यावरण को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी।

**समाधान—** मिर्जापुर जिले की वर्षा आधारित व सिंचित परिस्थितियों में, स्थान विशिष्ट षि प्रौद्योगिकी की पहचान कर, किसानों को उनके खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रंटलाइन डिमांडस्ट्रेशन देना चाहिए। आधुनिक षि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उपरोक्त के पीछे मुख्य विचार, जनजातीय छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, कृषि महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और सूखा प्रभावित किसानों के सबसे जरूरतमंद और योग्य कमजोर वर्गों के लिए, सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के लिए कृषि उत्पादकता में बृद्धि करना है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपायों को सुझाया जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य उपाय इस प्रकार हैं।

1. जिले में जल संचयन और जल की पुनर्चक्रण के साथ, शुष्क भूमि अथवा वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना।
2. तिलहन, दलहन, फलों और सब्जियों तथा अन्य क्षेत्र विशिष्ट फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देना।
3. टिकाऊ कृषि उत्पादकता के लिए, जैव उर्वरक, जैविक खाद ,आई. पी. एम., आई. एम. आर., आई. डब्ल्यू .एम. को बढ़ावा देना।
4. उत्तम कृषि प्रबंधन के माध्यम से, दुधारू और मांस पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना।
5. संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, जिससे ग्रामीण समुदाय में उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिले।
6. मूल समस्याओं को समझने और विकास की बेहतर समझ के लिए, संबंधित विभागों और संबंधित एजेंसियों के साथ उचित संबंध बनाए रखना।
7. खेतों को जूताई, कंटूरनुमा विधि से कंटूर की ढाल वाली दिशा के

समकोण दिशा में की जानी चाहिए, जिससे ढालो में से बहने वाला जल, मृदा को न काट सके। निसंदेह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का यह सर्वोत्तम उपाय है।

8. एलोवेरा व ड्रैगन की खेती मिर्जापुर जनपद के लिए बिल्कुल नई है। जिला उद्यान विभाग द्वारा एलोवेरा एवं ड्रैगन के पौधे उपलब्ध कराने के बाद यहां इसकी खेती बहुत ही आराम से की जा सकती है,लेकिन इसके लिए बाकायदा किसानों को प्रशिक्षित देने की जरूरत है।

9. जिले की स्वयं सेवी महिला समूहों में हमेशा कुछ न कुछ सीखने व काम करने की ललक रहती है।अतः एलोवेरा व ड्रैगन की खेती के लिए, जिला उद्यान विभाग की ओर से इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

10. जिला उद्योग विभाग द्वारा राजगढ़ ब्लॉक में बनाना—हब को विकसित करने की आवश्यक है,जिससे स्थानीय किसान क्षेत्रीय उपभोक्ता बाजार के आधार पर केले की खेती को बड़े पैमाने पर लामकारी बना सकें।

वर्तमान समय में मिर्जापुर जनपद में प्रतिदिन 10 ट्रक केले की आवक बाहर से हो रही है। केले की खेती के लिए जिले में उपर्युक्त जलवायु और जमीनें हैं। आज राजगढ़,जमालपुर और नरायनपुर के अलावा अन्य विकास खंडों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। बनाना हब से यहां के किसान समृद्ध और खुशहाल होंगे। जिला उद्यान विभाग के अनुसार जिले में इस समय 130 हेक्टेयर जमीन पर केले की खेती हो रही है।योजना के अनुसार राजगढ़ को बनाना—हब का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। अब केला हब घोषित हो जाने से इसका दायरा बढ़ रहा है और इसकी खेती 250 से 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल जाएगी। इससे दोगुने से भी अधिक किसान लामान्वित होंगे।जिला उद्यान विभाग ने बताया है कि आगे आने वाले दिनों में अब भुसावल के बजाय जिले व आसपास के क्षेत्रों में पैदा हुए केले बाजार में नजर आएंगे। इसके लिए किसानों व स्थानीय व्यावसायियों को प्रशिक्षित लेते रहने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

**पर्यावरण संरक्षण के उपाय—** कृषि का वैज्ञानिक ढंग एवं प्राचीन व रूढ़िवादी तरीकों से की जाने वाली कृषि से मृदा अपरदन होता है। खेतों को बार—बार जोतना और आवश्यकता पड़ने पर जोतई



ना होना, अनियंत्रित सिंचाई, उर्वरकों का अधिक प्रयोग या रासायनिक उर्वरकों को बिल्कुल न देना, फसल चक्र का पालन न करना इत्यादि ऐसे कारण हैं, जिनसे मिट्टियां अपना प्राकृतिक ऊर्वरता खो देती हैं और उनका विघटन होने लगता है। ढालू भूमि पर कई बार गहरी जुताई कर देने से तथा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जोत लगा देने से, वर्षा ऋतु में तीव्रता से मृदा कट कर बह जाती है। अत्यधिक मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और मृदा कृषि योग्य नहीं रहती। मृदा अपरदन के कारण आकस्मिक एवं भयंकर बाढ़ों का प्रकोप होता है, नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जल धाराओं में परिवर्तन होने लगता है। कृषि की उपजाऊ मिट्टी की हानि होती है। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वरता वाली परत का विनाश हो जाता है। भौम जल स्तर गिरने से पीने तथा सिंचाई के लिए जल की अनुपलब्धता हो जाती है। मिर्जापुर जिले में नए-नए वन क्षेत्र लगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। उजड़े हुए वनों को पुनः लगाना, उजड़े वनों के स्थान पर पुनः वृक्षारोपण कर मृदा अपरदन से बचा जा सकता है। उन क्षेत्रों में, जहां के वनों को जलाया गया अथवा काटा गया है, वहां पुनः वन लगाए जाएं।

पशुओं द्वारा चराई की जाने वाले ढलान क्षेत्रों में मजबूत जड़ों वाली घास लगाने से मृदा अपरदन कम होता है। अतः जनपद के पर्यावरण संरक्षण व विकास के लिए जंगलों को काटने से बचाना तथा आग इत्यादि से नष्ट होने से बचाना आवश्यक है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://mirzapur-nic-in>
2. <https://hi-wikipedia-org>
3. <https://Mirzapurdarshan-wordpress-com>
4. <https://navbharattimes-com>
5. <https://hi-unionpedia-org>
6. <https://www-aahtak-in>
7. <https://www-researchgate-net-: A Geographical Review of Land Use Pattern in Mirzapur District.>

\*\*\*\*\*